



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267334
CG-DL-E-03112025-267334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4802]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 4802]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4957(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2408-E तारीख 30/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के ब्यावर / अजमेर जिले में NH79 के कि.मी. 3.45 से कि.मी. 7 तक के भूखण्ड पर 2 लेन से 4 लेन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दी इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 17 जून 2025 को एवम हिंदी में पंजाब केसरी दिनांक 17 जून 2025 को प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के ब्यावर / अजमेर जिले में NH79 के कि.मी. 3.45 से कि.मी. 7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: ब्यावर / अजमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अजमेर					
गांव का नाम: मांखुपुरा					
1	2708	निजी	गै. मु. सड़क	0.2853	महकमा पी.डब्ल्यू डी हिस्सा - पूर्ण महकमा पी.डब्ल्यू डी
2	3185/1508	निजी	गै. मु. पहाड़	0.6147	नगर निगम अजमेर ट्रेडिंग ग्राउण्ड हिस्सा - पूर्ण खातेदार
Total				0.9	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2023-24/04/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

S.O. 4957(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2408-E Dated: 30/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of 2 Lane to 4 Lane Maintenance, management and operation of NH79 in the stretch of land from Km. 3.45 to Km. 7 in the district of BEAWAR/ AJMER in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in English in The Indian Express on 17 June 2025 & in Hindi Punjab Kesari on 17 June 2025 under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH79 in the stretch of land from Km. 3.45 to Km. 7 in the district of BEAWAR/AJMER in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: BEAWAR/ AJMER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ajmer					
Village: makhupura					
1	2708	Private	Ga. Mu. Sadak	0.2853	Public work Department Share-Full PWD
2	3185/1508	Private	Ga. Mu. Pahad	0.6147	Nagar Nigam Ajmer Trenching ground Share- Full Khatedar
Total				0.9	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2023-24/04/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director